Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 6 | ISSN : 2581- 6306

प्राचीन भारत में श्रेणियों का मूल्यांकन

मो0 वाकिफ
शोध निर्देशक, असि0प्रोफेसर, नेहरू ग्राम भारती, (मानित विश्वविद्यालय) प्रयागराज,उत्तर प्रदेश।

राजू अहमद
शोध छात्र, प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, नेहरू ग्राम भारती, (मानित विश्वविद्यालय) प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

Article Info
Volume 4, Issue 6
Page Number : 82-85
Publication Issue :
November-December-2021
Article History
Received : 15 Nov 2021
Published : 30 Nov 2021

सारांश– प्राचीन भारत में श्रेणियाँ बहुत से कार्य करती थी जैसे–बैंक का कार्य करना, व्यापार की उन्नति का प्रयास करना, न्यायिक कार्य करना सेना रखना, मुद्रा चलाना आदि। इस प्रकार हम कह सकते है कि श्रेणियों ने व्यापार से लेकर हर स्तर सामाजिक, आर्थिक धार्मिक सभी प्रकार किया इनका प्राचीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है।

मुख्य शब्द– प्राचीन, भारत, व्यापार, श्रेणि, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक।

प्राचीन भारत औद्योगिक विकास में शेष विश्व के बहुत से देशों से अधिक था। रामायण तथा महाभारत काल के पूर्व से ही भारत के व्यापारिक संगठन दूर देशों तक व्यापार करते थे, बल्कि आर्थिक रूप से वे इतने मजबूत एवं शक्तिशाली थे कि उनकी उपेक्षा करना तत्कालीन राज्याध्यक्षों के लिए भी असंभव हो गया।

प्राचीन भारत में अनेक ग्रंथों में श्रेणियों का उल्लेख किया गया है वे श्रेणियों के सदस्य काफिले के रूप में समुद्र एवं मैदानी रास्तों से अरब एवं यूनान के अनेक शहरों से व्यापार करते थे। इनके अपने कानून होते थे। संकट से निपटने के लिए उन्हें अपनी सेनाएँ रखने का भी अधिकार था। उन संगठनों को उनके व्यापार क्षेत्र एवं कार्यशैली के आधार पर अनेक नाम से पुकारा जाता था गण पूग पाणि वात्य, संघ, श्रेणि आदि। इनमें श्रेणि सर्वाधिक प्रचलित थी। वे सभी परस्पर सहयोग आधारित संगठन थे जिन्हें उनकी कार्य शैली एवं व्यापार के आधार पर अलग–अलग नामों से पुकारा जाता था। बौद्ध साहित्य जातक के अध्ययन से जानकारी मिलती है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग होने के कारण उद्योग तथा व्यापार में काफी वृद्धि हो गयी और इसकी व्यवस्था के लिए व्यापारियों ने संगठन की आवाश्यकता महसूस किया। व्यापारी अपनी व्यवस्था में राज्य की मदद नहीं लेना चाहते थे

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

क्योंकि इसमें राजा के द्वारा हस्तक्षेप करने का उन्हें डर बना रहता था। इस काल में व्यापारियों ने व्यापार को सुविधापूर्वक चलाने एवं सुरक्षा के लिए श्रेणियों का संगठन बनाया। इसमें व्यापारी एक समान व्यापार या उद्योग करने वाले लोगों की श्रेणियाँ बनाते थे।

जातक में 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख है। इन श्रेणियों में महाजनों की श्रेणी सबसे प्रमुख थी जो सेट्ठि कहे जाते है। श्रेणियों के अपने विधान थे, निर्णय देने तथा व्यवस्था करने के लिए अधिकार प्राप्त थे। श्रेणी अपने सदस्यों के हित में प्रयत्नशील रहती थी। दरअसल श्रेणी एक प्रकार का ऐसा संगठन बन गया जिसमें एक या विभिन्न जातियों के लोग रहते थे। वे श्रेणियाँ राज्य के जन–समुदाय का प्रतिनिधित्व करती थी और इससे राजा को उनके विचार और उनकी भावनाओं को सम्मानित करने के लिए बाध्य होना पड़ता था। स्मृतियों में श्रेणियों की चर्चा की गयी है कि संघ या श्रेणी का सदस्य स्वार्थवश श्रेणी से सम्बद्ध नियमों को भंग करता था तो राजा की तरफ से उसे कठोर सजा मिलती थी। यदि श्रेणी का सदस्य धन चुराता हुआ पकड़ा जाता था तो उसे देश से निकाल दिया जाता था तथा उसकी जायदाद जब्त कर ली जाती थी। श्रेणियों पर जनता का विश्वास धीरे–धीरे बढ़ने लगा मथुरा से प्राप्त दूसरी सदी के अभिलेख से पता चलता है कि हुविष्क द्वारा अक्षय नीवि या अक्षयदान (वह दान जिसका क्षय या नाश न हो) देने की चर्चा है जो दो श्रेणियों में से प्रत्येक को 550 कार्षापण के रूप में दिया गया। इसी प्रकार शक शासक नहपान के जमाता उषक्दात द्वारा तीन हजार कार्षापण बौद्ध भिक्षुओं के उपयोग के लिए दिया गया यह राशि नियमित ब्याज पर गोवर्द्धन की दो जुलाहों की श्रेणियों में जमा की गयी थी। स्कन्दगुप्त के इन्दौर ताम पत्र में तैलिक श्रेणी का उल्लेख है जिसने सूर्य मंदिर निमित दीपदान दो पल तेल का दान दिया। पूर्व मध्य युग के अभिलेखों में विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख मिलता है जिसमें व्यापारिक संस्थाओं द्वारा देश को आर्थिक सहायता दी जाती थी।

संक्षेप में यह कहना उचित होगा कि प्राचीन भारत में धन के समचित बंटवारे के लिए प्रजातांत्रिक ढंग से श्रेणियाँ व्यापार में लगी रहती थी जिसमें समाज का कल्याण होता रहा। गुप्तकाल के बाद इन्हें विशेष स्वायत अधिकार मिले थे इनके आपसी झगड़ों का निपटारा श्रेणियाँ स्वयं करती थी। बृहस्पति ने बताया कि श्रेणी के सदस्यों तथा अन्य निगमों के द्वारा शर्तनामा का विधान कठिनाइयों को दूर करने तथा लोगों के धार्मिक और लौकिक कर्तव्यों का ढंग से पालन करने के लिए किया गया। 5वीं सदी के एक अभिलेख के अनुसार लाट में रेशम बुनने वाले लोग दशपुर में आकर बसे और अपनी संचित धनराशि से सूर्य का एक मंदिर बनवाया। बाद में इसी श्रेणी की मरम्मत भी कराई। श्रेणियों का अस्तित्व 9–10वीं शताब्दी में भी बना रहा। मेधातिथि में वणिक और शिल्पकारों की चर्चा हुई। बुनकरों, कुम्हारो

मालियों और दस्तकारों की श्रेणियों की चर्चा मिलती है जो स्वयं अपना कानून बनाती और अपने सदस्यों पर लागू करती थी। स्मृति चंद्रिका के अनुसार श्रेणियों को कानून बनाने का अधिकार था।

श्रेणियों के कानून – श्रेणियों का अपना एक कार्यालय होता था जहाँ सभी सदस्य इकट्ठा होते थे और आवश्यक बातों पर विचार करते थे। श्रेणी भवन में उपस्थित होने और जन समुदाय से सम्बन्धित बातों पर विचार करने के लिए ढोल या अन्य वाद्य यंत्र बजाकर श्रेणी के सभी सदस्यों को एकत्रित किया जाता था। उनकी बातों पर विचार किया जाता था। श्रेणी द्वारा बनाये गये नियम राजा भी मानता था। श्रेणी के कानूनी सरकारी नियम के बराबर थे। श्रेणी का अपना न्यायालय होता था। श्रेणी ऋण भी देता था लेकिन इस ऋण को सदस्य द्वारा व्यापार में ही लगाना पड़ता, अन्यथा वह दण्ड का भागी होता था। व्यापारियों का अपना समूह या श्रेणी किसी भी प्रबंध अधिकारी को हटा सकता था जो सदस्यों के बीच फूट डालता, सम्पत्ति नुकसान करता या विश्वासघात करता था। सदस्य द्वारा हटाये गये प्रबंध अधिकारी के बारे में राजा को सूचना दे देनी पड़ती थी।

श्रेणियों का कार्य :– श्रेणियाँ जन कल्याणकारी कार्य करती थी। सभागार विश्राम गृह मंदिर सरोवर बनवाती और उद्यान लगाती थी। वर्णिक श्रेणियाँ सिक्के भी चलाती थी तक्षशिला से नैगम सिक्का प्राप्त हुआ है। व्यापार में विशेष चिन्ह के लिए श्रेणियाँ मोहरों का प्रयोग करती थी। प्राचीन वैशाली जिले (वसाढ़ से) 274 गुप्त कालीन मुहर मिली है जिससे यह पता चलता है कि श्रेणियाँ सार्थवाहो और कुलिको ने मिलकर एक बड़ा सा व्यापार मंडल स्थापित किया जिनकी शाखा अनेक नगरों में थी।

श्रेणियाँ बैकों का कार्य करती थी। समाज का नागरिक ब्याज पर अपना धन इनके पास जमा कर सकता था। श्रेणियाँ द्वारा राजकीय भूमि की देखभाल की जाती थी। जनता के हित को ध्यान में रखते हुए श्रेणियाँ बाजार पर नियंत्रण रखती थी। वस्तुओं के खरीद बिक्री तथा लेन देन के निश्चित नियम होते थे। देश के भीतरी और बाहरी देशों के साथ व्यापार ये श्रेणियाँ आपस में मिलकर एक साथ भी कभी–कभी करती थी। श्रेणियों द्वारा सैनिक कार्य भी किये जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार श्रेणियों की सेनाएं होती थी जिसका प्रयोग रक्षा एवं आक्रमण के लिए होता था। मन्दसौर शिलालेख से जानकारी मिलती है कि श्रेणी द्वारा सैनिक कार्य किया जाता था।

इस प्रकार हम कह सकते है कि प्राचीन भारत में श्रेणियाँ बहुत से कार्य करती थी जैसे–बैंक का कार्य करना, व्यापार की उन्नति का प्रयास करना, न्यायिक कार्य करना सेना रखना, मुद्रा चलाना आदि। इस प्रकार हम कह सकते है कि श्रेणियों ने व्यापार से लेकर हर स्तर सामाजिक, आर्थिक धार्मिक सभी प्रकार किया इनका प्राचीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. प्राचीन भारत का सामाजिक–आर्थिक इतिहास–डा0 शिव स्वरूप सहाय।
2. प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास–ओम प्रकाश प्रसाद, प्रशांत गौरव
3. प्राचीन भारत का सामाजिक–आर्थिक इतिहास–ओम प्रकाश
4. प्राचीन भारत का आर्थिक–सामाजिक इतिहास–रामशरण शर्मा